

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हरिद्वार  
मु०-कालसी

पत्रांक: /  
सेवा में,

दिनांक: / / 2015

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चक्राता वन प्रभाग,  
चक्राता।

विषय:— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग (लम्बाई 7.300 कि.मी.) हेतु 3.15 है० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

संदर्भ:— FP/UK/ROAD/8763/2014, वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक—1805 / 17-5 दिनांक 12.03.2015 आपका पत्रांक 2678 / 12-1 दिनांक चक्राता 19 मार्च 2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर आप द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर SOP (Standard Operating Procedure) के अनुरूप तैयार कर आपको पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हरिद्वार

मु०-कालसी

दिनांक: 10/04/2015

पत्रांक: ४८७/२२ स्टू

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को आपके पत्र सं० 1805 / 17-5 दिनांक, देहरादून, 12, मार्च, 2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

१०१५

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हरिद्वार  
मु०-कालसी

**सारणी-10**

लिंगनक सं	संलग्नक का नाम Name of the Attachment	संक्षिप्त विवरण/पेज सं Short Description/Page No.
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	14
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्व ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	25-27
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० के साथ दिखाया गया हो।	25-27
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	26
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	28

1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	61-67
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	25-27
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file ) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगलमानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित हो।	26
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	NA
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	NA
1.11	Cost benefit analysis (in more than 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	

संख्या No.	संलग्नक का नाम Name of the Attachment	संक्षिप्त विवरण/पेज सं. Short Description/Page No.
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	NA
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	16-21 16-17
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department etc.) (pdf file). संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)	18 - 21
2.4	Comparative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection duly countersigned by DFO. (pdf file). वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निररत किये जाने का औचित्य एवं कारण।	28-35
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum. (pdf file). जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र।	36

2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and private nap land signed by DM). (pdf file). प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	37-40
2.7	Category wise (RF,civil soyam, Van panchayat and private nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha. (pdf file). परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हेठो में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन, वन पंचायत, नीजि भूमि, आदि।	41
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	42
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	90
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation by DFO (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उप्युक्तता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	79-84
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO (pdf file). प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	85-86
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावक्कलन।	89

2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	91
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO ( less then 1.0 ha. cases ) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र। (1 हेक्टर से कम में लागू।)	NA
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled ) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings). (pdf file) Tree count. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग—अलग बनायी जानी होगी)।	44-53
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided). (pdf file). बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण—पत्र।	53
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf file). अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण—पत्र।	84 55
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file). न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	54
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	92-107

220	Whether project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।	56
221	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, Comments/No objection certificate of CCF Wild Life has to be provided. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र	57
222	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माठ उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	NA
223	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण—पत्र।	NA
224	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). आम—सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र।	58-60
225	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का ले—आउट प्लान एवं प्रांकलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित विस्त्रित प्लान अपलोड किया जाना है।	NA

2.26	Component wise details of construction work. (pdf file). अवयव के अनुसार निर्माणधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	NR
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण—पत्र।	43
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू—वैज्ञानिक की आख्या।	68 - 72
2.29	Task Force report. टास्क—फोर्स रिपोर्ट।	73
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition (pdf file). प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	74
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinking water). टास्क—फोर्स एवं भू—वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	67/72
2.32	No historical/monumental or relegateous place will be effected certificate reg. (by DM/DFO) (pdf file). धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण—पत्र।	75
2.33	Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the project. (Pdf file). वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण—पत्र।	76
2.34	Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project. (Pdf file). परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण—पत्र।	77
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र	78

2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders by DFO (pdf file). एनोपी०वी० की देयता का प्रमाण—पत्र।	109 - 111
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increases the rates of NPV (by user agency) मात्र उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एनोपी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण—पत्र।	109 - 111
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण—पत्र।	113
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file). लीज अवधि का प्रमाण—पत्र।	114
2.40	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण— पत्र।	112
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for dimarcation work (pdf file). आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	112
2.42	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate by Chief seceretary (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण—पत्र। (अगर लागू हो)।	114
2.43	Check list/Fact sheet . /Other imp details चैक लिस्ट /फैक्ट शीट /अन्य विवरण	119

# रायगढ़ी कुलदा भौत्तर मार्ग

## चैक लिस्ट

### विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
मुख्य पृष्ठ	1
विषय सूची	2-3
प्रतिवेदन	4
फैक्ट शीट	5-7
भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र	8-15
परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति	16-17
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18-21
भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय रिपोर्ट	22-24
1:50000.00 पैमाने का मानचित्र	25-27
डिजिटल मैप व सी0डी0	28-35
वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	36
वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	37-40
प्रभावित भूमि का लैण्ड शेड्यूल	41
परियोजना की लम्बाई व चौड़ाई का प्रमाण पत्र	42
बार चार्ट	43
कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	44-53
प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्ष न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र	54
वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र	55
परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र	56
परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	57
प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र	58-60
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति का प्रमाण पत्र	61-66
भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	67
परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिकों की आव्याय	68-72
पर्वतीय क्षेत्रों में टास्क फोर्स की संस्तुतियां मान्य होने का प्रमाण पत्र	73
मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र	74
प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक /एतिहासिक महत्व का होने का अथवा न होने का प्रमाण पत्र	75

	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र	76
	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	77
31.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों का विवरण का प्रमाण पत्र	78
32.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र	79-87
33.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्रांकलन	88-91
34.	मक डिस्पोजल मानचित्र व उपचार कार्यों के प्राकलन	92-107
35.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन	109
36.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बड़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र	110-111
	प्रस्तावित परियोजना के लिए ली गयी वनभूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण	112
	वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र	113
	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	114
	प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	115
	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनार्थ	116
42.	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	117
43.	चैक लिस्ट के अनुसार प्रमाण- पत्र	118

**कार्य का नाम:-**

**जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कूलहा का विस्तारीकरणमोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।  
(लम्बाई-7.30किमी0)**

## **भाग - 2**

**(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कूलहा का विस्तारीकरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का लो0नि0वि पी0एम0जी0एस0वाई0 हरिद्वार (मुख्यालय कालसी) को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चक्रता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	3.1500 है0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.00 है0 आरक्षित वन भूमि 0.000 है0 वन पंचायत भूमि 3.15 है0 सिविल सोयम भूमि (devdhar range tyuni) <b>3.15 है0 कुल वन भूमि</b>
(vi)	हरियाली का घनत्व	...0.1..स...0.2.....
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी0 पर परिणामना और एफ.आर.एल-4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल (devdhar range tyuni) पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 10 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 0 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 21 से 21 तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक 25 नवम्बर 2013 की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 68 से 71 तक चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन से नहीं गुजरता है एवं सिविल सोयम भूमि (devdhar range tyuni) की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 76 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 75 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या 54 पर संलग्न

	न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है। (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या .....79... से ...83... तक पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 79...स 83..... पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या .. 85 से 86 तक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :— जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजेंसी :— स्वयं वन विभाग समय :— उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :— क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रु० 8.19 लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्या 79... से 83 तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 14.60 लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्या 685 से 86 तक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु० 8.19 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रु० 14.60 लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राकलन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या 20-21 पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या ..24..... पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चक्रवाती वन प्रभाग/जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	3088 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	2116 वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या ..359.386 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र .....है० है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र .....है० है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण <ol style="list-style-type: none"><li>(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि –</li><li>(ख) वनोत्तर भूमि पर –</li></ol>	(क) .....है० <ol style="list-style-type: none"><li>(ख) रिक्त</li></ol>
(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर –	(क) .....685..... है० में प्रभाग के अन्तर्गत

	(ख) वनोत्तर भूमि पर -	क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) 435 है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक .....16/12/14..... को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक :- 10-4-2015

स्थान :- वनोत्तर भूमि

हस्ताक्षर

नाम :- (डॉ. दिव्यालक्ष्मि चिह्न)

सरकारी मोहर

प्रधानमंत्री इनामि जारी  
विकास वन विभाग  
चक्रवाल (निम्रलिख)

24(A)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF  
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from P.W.D., Handwar, H.a. Kalii  
Kali for diversion under FCA-1980 of ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Extension of Bajaj Raig to Kullhar Motor road under P.M.G.S.  
Handwar, Kalii. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 2-2-2015

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 3.15 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. YES

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. — No

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required. — No

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommended

(Signature)

Name.....

Designation.....

Office Seal

Place: Chakrata  
Date: 2-2-2015

N.B.  state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.  
 out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darter 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

ग्राम्य विकास विभाग  
उत्तराखण्ड शासन  
देहरादून

संख्या: 1880 / पी3-19 / यूआरआरडीए / 11

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत 500 एवं इससे अधिक जनसंख्या की बसावटें, जो कोर नेटवर्क के अनुसार पूर्व में रवीकृत/निर्मित/निर्माणाधीन मोटर मार्गों से संयोजित होनी दर्शायी गयी हैं, किन्तु स्थल की विषम भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कठिपय कारणों से संयोजित नहीं हो पायी है, ऐसी चिन्हित 28 बसावटों को बारहमारी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट क' के अनुसार आवश्यक सत्यापनोपरान्त सूची तैयार की गयी है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण, डी०पी०आर० गठन तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



(विनोद कोनिया)

सचिव

ग्राम्य विकास विभाग ५५

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी एवं कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पी०ए०जी०ए०वाई०/१०डी०बी० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, श्रीनगर, टिहरी एवं ज्योलीकोट।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०य० (पी०ए०जी०ए०वाई०), कपकोट, बागेश्वर, पोखरी, कर्णप्रयाग, चम्पावत, देहरादून (कालसी), नैनीताल, पिथौरागढ़, डीडीहाट, रुद्रप्रयाग, टिहरी-2 एवं उत्तरकाशी।

संलग्नक: यथोपरि।



सचिव,  
ग्राम्य विकास विभाग ५५

